"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त 2017 — भाद्रपद 9, शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-124/सात-3/2011. — छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 4-124/सात-3/2011, दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

सरल क्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ. ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्यदिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"15.	तहसील कार्यालय	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 240 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार पेड़ की कटाई की अनुमति	2 माह	ग्राम पंचायत/ अनुविभागीय स्तरीय समिति	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	तहसील कार्यालय	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 241 के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार पेड़ की कटाई की अनुमति	2 माह	ग्राम पंचायत/ अनुविभागीय स्तरीय समिति	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त"

No. F 4-124/7-3/2011. — In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F 4-124/7-3/2011, dated 16th December, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of said notification,-

After seriel number 14 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

S. No.	Name of Office/ Body/ Agency	Services to be provided for Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time Period of providing Services (working day)	Designated Officer providing Service (post)	Competent Officer	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"15.	Tehsil Office	Permission for cutting of tree according to the rules made under Section 240 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959	2 months	Gram Panchayat/ Sub Divisional Level Committee	Collector	Divisional Commissioner
16.	Tehsil Office	Permission for cutting of tree according to the rules made under Section 241 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959	2 months	Gram Panchayat/ Sub Divisional Level Committee	Collector	Divisional Commissioner"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.